उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-7/2026/811/तीस-4-2026-30-4099(099)/254/2026

लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर, 2026

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, नीचे अनुसूची में दिये गये मार्ग पर मंजिली गाड़ी चलाने का निश्चय करती हैं।

अनुसूची

क्र0सं0	संभाग	मार्ग	कुल दूरी (किमी0)
1	2	3	4
1.	आगरा	मल्टीलेवल पार्किंग (वृन्दावन) से प्रेम मन्दिर तिराहा (वृन्दावन) वाया हरिनिकुंज चौराहा, हनुमान मन्दिर तिराहा, रंग जी मन्दिर, कात्यायनी मन्दिर, अटल्ला चुंगी, सौ शैय्या हॉस्पिटल, पानीगांव तिराहा, दारूक पार्किंग, चैतन्य विहार कॉलोनी।	23.1 किमी0

आज्ञा से,

अर्चना अग्रवाल

अपर मुख्य सचिव

संख्या-7/2026/811(1)/तीस-4-2026, तद्दीनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-7/2026/811(2)/तीस-4-2026, तद्दीनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 02 सितंबर,2026 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-7/2026/811(2)/तीस-4-2026, तद्दीनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, आगरा।
4. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
अनु सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.7/2026/811/XXX-4-2026-30-4099(099)/254/2026, dated 02 September,2026

Notification
No. 7/2026/811 /XXX-4-2026- 30-4099(099)/254/2026,
Lucknow: Dated 02 September,2026

In exercise of the powers conferred under clause (c-a) of sub-section (3) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to formulate the route given in the schedule below for plying stage carriage:-

SCHEDULE

S.No.	Region	Route	Total Distance (km.)
1	2	3	4
1.	Agra	From Multilevel Parking (Vrindavan) to Prem Mandir Tiraha (Vrindavan) via Harinikunj Chauraha, Hanuman Mandir Tiraha, Rang Ji Mandir, Katyayani Mandir, Atalla Chungi, Sau Shayya Hospital, Panigaon Tiraha, Daruk Parking, and Chaitanya Vihar Colony.	23.1

By Order,

Archana Agrawal
Additional Chief Secretary